दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

2011

कमांक डी–15037/1/2011–डीसीओ(छ.ग.)/ 896 दिनांक– 22-07-201

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय, में **जनगणना 2011 से संबंधित संक्षिप्त मकानसूची के लगभग 25,000 बुकलेट के फोटोकापी** कार्य हेतु प्रति पृष्ठ फोटो कापी कार्य की दर प्रदाय करने के लिये के लिये पंजीकृत फर्मो/संस्थाओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करती है। नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

1. कार्य का विवरण:–

(अ) संक्षिप्त मकानसूची में खण्ड 1 से खण्ड 6 तक है, जिसमें से **खण्ड–1 एवं खण्ड–3 के सभी पृष्ठों की फोटोकापी की जानी है तथा खण्ड–2 एवं खण्ड–4 के भरे हुये पृष्ठों की फोटोकापी की जानी है**, लेकिन खण्ड–5 एवं खण्ड–6 (एक पृष्ठ)की छायाप्रति नहीं किया जाना है। इस प्रकार फोटोकापी किये जाने वाले पृष्ठों के साथ खण्ड 5 एवं खण्ड 6 (एक पृष्ठ) तथा अंत में एक खाली पेज (बुकलेट के अंत में कवर पेज के रूप में) जिसे कार्यालय द्वारा प्रदाय किया जावेगा को लगाकर स्टेपल किया जाना होगा ।

(ब) इसप्रकार प्रत्येक बुकलेट में औसतन 20–22 (दोनो तरफ मिलाकर) पृष्ठों की फोटोकापी किया जाना है। कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख (दोनो तरफ मिलाकर) पृष्ठों की फोटो कापी किया जाना संभावित है । उक्त संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है । संख्या में वृद्धि/कमी की स्थिति में अनुपातिक आधार पर कार्य संपादन के समय में भी आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी किया जावेगा ।

(स) प्रत्येक बुकलेट की फोटोकापी निकालने के पश्चात स्टेप्लर पिन से स्टेपल कर बुकलेट बनाया जाना होगा।

(द) यह दस्तावेज गोपनीय होने के कारण उनकी फोटोकापी का कार्य फोटोकापी मशीन को कार्यालय में स्थापित करके किया जाना होगा तथा किसी भी स्थिति में इन दस्तावेजों

को कार्यालय से बाहर नहीं ले जाना है। फोटोकापी का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में (रविवार को छोडकर) प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक किया जा सकता है ।

(इ) फोटोकापी मशीन पर खपत होने वाली विद्युत का व्यय कार्यालय द्वारा वहन किया जावेगा।

2. <u>निविदाकर्त्ता हेतु योग्यताएं एवं आवश्यक दस्तावेज</u>

अ. निविदाकर्त्ता फर्म पंजीकृत होना चाहिये जिसकी स्व–सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ब. इस कार्य के लिये सुरक्षा राशि का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

स. निविदाकर्त्ता के पास कार्य संपादन हेतु पर्याप्त मशीनरी एवं कर्मचारी (Manpower) होना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा **यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा कि फर्म द्वारा यह कार्य किस प्रकार संपादित किया जावेगा एवं उनके द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पृष्ठ फोटोकापी का कार्य संपादित किया जावेगा।**

द. निविदा के साथ इस आशय का स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा कि उनका फर्म/संस्था किसी भी केन्द्रीय/राज्य शासन के कार्यालय या भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा blacklisted नहीं किया गया हैं।

3. **कार्य पूर्ण करने की अवधि**

उपरोक्त फोटोकापी कार्य चूंकि जनगणना से संबंधित कार्य है जोकि समय–सीमा में किये जाने वाला राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। इस कार्य को कार्य आदेश जारी होने के 40 दिन के अंदर किया जाना है। सामान्यतः समयावधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। यदि निर्धारित समयावधि में फर्म उक्त कार्य को नही कर पाती है तो समयावधि की समाप्ति के पश्चात् किये जाने वाले फोटोकापी कार्य के भुगतान राशि में से 10 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है।

4. **दर प्रदाय**

फोटोकापी कार्य हेतु फोटोकापी पेपर निदेशालय द्वारा प्रदाय किया जावेगा । अतः दर केवल प्रति पृष्ठ फोटोकापी कार्य के लिये प्रदाय किया जावे । प्रदत्त दर में समस्त कर एवं अन्य समस्त व्यय यथा फोटोकापी मशीन परिवहन, मजदूर, स्टेपल चार्ज आदि सम्मिलित हो । प्रदाय की गयी दर 31 मार्च, 2012 तक के लिये मान्य किया जाना होगा ।

5. <u>सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit):–</u>

निविदा के साथ रू. 5500/–सुरक्षा राशि (Earnest Money) संबंधी ड्राफ्ट संलग्न किया जाना होगा । सुरक्षा राशि अकाउण्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ.छत्तीसगढ, रायपुर' (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा रायपुर में देय हो।

6. <u>सुरक्षा राशि की वापसी</u>

असफल निविदाकर्त्ताओं की सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) कार्य आदेश अवार्ड करने के 30 दिनों के अंदर वापस कर दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

7. <u>भुगतान</u> :–

प्रत्येक 3 लाख फोटोकापी का कार्य पूर्ण होने के पश्चात L1 दर के आधार पर फोटोकापी किये गये 3 लाख फोटोकापी की राशि का 50 प्रतिशत का बिल प्रदाय करने पर भुगतान किया जावेगा तथा कार्य समाप्ति उपरांत शेष राशि का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्रवाई किया जावेगा किन्तु बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रशासनिक कार्रवाई में किसी कारणवश समय लगने पर किसी भी स्थिति में आगे की फोटोकापी का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

8. <u>निविदा जमा/खोलने की तिथि</u>

निविदा के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ में दिनांक 29/07/2011 को दोपहर 3.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है । इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा । दिनांक 29/07/2011 को 03.30 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा । निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

9. <u>अवार्ड प्रकिया</u>

क्रय समिति द्वारा सभी निविदाकर्त्ताओं द्वारा प्रदत्त दर को बढ़ते क्रम में रैंकिग किया जायेगा। समस्त व्यय सहित सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म के दर को L1 माना जावेगा तथा नियमानुसार कार्य आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

10. फोटोकापी किये जाने वाले बुकलेट के सैम्पल का अवलोकन कार्यालयीन समय में निदेशालय के स्टोर प्रभारी के माध्यम से किया जा सकता है ।

11. किये जाने वाले फोटोकापी कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि फोटोकापी कार्य किये जाने के दौरान कोई भी आवश्यक पृष्ठ फोटोकापी करने से छूटे न। इसी प्रकार स्टेपलिंग कार्य करते वक्त यह सुनिश्चित कर लेवें की मूल बुकलेट में लगे पृष्ठों के अनुसार ही फोटोकापी बुकलेट तैयार की जावें।

12. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् फर्म द्वारा कार्य को समय सीमा में संपादित नहीं करने या निविदा में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं करने पर शासकीय नियमों के तहत फर्म पर कार्रवाई की जा सकती है।

13. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद/परिवाद भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर की मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे । आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/बाध्यकारी होगा।

14. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

(जोस टी.वर्गिस)
उप निदेशक